

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
- 2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 05 जून, 2015

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत 'जीवन ज्योति परियोजना' एवं 'जीवन शक्ति परियोजना' के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थायी स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मनरेगा कनवर्जन्स के अन्तर्गत शासनादेश संख्या- 2592/38-7-2008-351एनआरईजीए/2008 दिनांक: 31-10-2008, जो बायो डीजल परियोजना के संचालन से संबंधित है, एवं शासनादेश संख्या- 2587/38-7-2008-351एनआरईजीए/2008 दिनांक: 31-10-2008, जो औषधि एवं सगन्ध पौधों के रोपण से संबंधित है, निर्गत किया गया है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या- 11017/17/2008-नरेगा(यूएन) (पार्ट- II) दिनांक: 29-12-2014, परिपत्र संख्या- 11017/41/2012-नरेगा(यूएन) (पार्ट- II) दिनांक: 17-09-2014 एवं परिपत्र संख्या- जी-31011/04/2013-एमजीनरेगा-V) दिनांक: 21-07-2014 के क्रम में शासनादेश संख्या- जीआई-14/अडतीस-7-2015-156नरेगा/2012 दिनांक: 14-01-2015 एवं राज्य जैव ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में नियोजन अनुभाग-1 से शासनादेश संख्या- 1569/35-1-2014-2/1(86)/2014 दिनांक: 14-11-2014 निर्गत किया गया है।

2- इस संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक: 14-01-2015 में मनरेगा अन्तर्गत निम्नलिखित 11 महत्वपूर्ण पौधों यथा सीमारुबा, महुआ, च्यूरा, कोकम, आँलिव, नीम, जेट्रोफा, जेजोबा, तुंग, वाइल्ड एपीकॉट एवं करंजा के रोपण एवं अनुरक्षण की व्यवस्था की गयी है, किन्तु नियोजन विभाग की संस्तुति एवं 30प्र0 राज्य की कृषि, सामाजिक वानिकी तथा चारागाह हेतु अप्रयुक्त भूमि का उपयोग कर यथा निर्देशित बहुवर्षीय बायो डीजल पौधों, जो यहां की जलवायु के लिए उपयुक्त है, यथा नीम, महुआ, करंजा, सीमारुबा, जेट्रोफा के रोपण की कार्यवाही की जायेगी एवं इनके तैयार होने की अवधि में मनरेगा जाव कार्ड धारकों की आर्थिक समृद्धि हेतु अन्य बहुवर्षीय कृषि क्रियाकलापों में लेमन ग्रास, पामारोजा, सेट्रोनेला, खस, सर्पगंधा, सतावर, सनाय, ग्वारपाठा, गुडमार, बच, मुस्कदाना, पिपली, कौंच, गिलोय का रोपण एवं बायो मास उत्पादन कर आर्थिक विकास में योगदान प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.uo.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव के अनुक्रम में योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा-निर्देश निम्नवत होंगे:-

3.1 योजना का नाम:- जीवन ज्योति परियोजना (बायो डीजल पौधों का रोपण) एवं जीवन शक्ति परियोजना(औषधीय एवं सगन्ध पौधों का रोपण) के नाम से क्रियानिवत किया जायेगा।

3.2 अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन :- बायो इनर्जी मिशन सेल द्वारा संचालित परियोजनाओं की जनपद स्तर पर मानीटरिंग एवं अनुश्रवण प्रत्येक माह संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अरुण सिंघल)

प्रमुख सचिव ।

संख्या- 20/2015/1085 (1)/अडतीस-7-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, लाइन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
6. राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ०प्र०।
7. नियोजन अनुभाग-1
8. समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उ०प्र०।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।